

संख्या: पीरीएच-एचए(5)89-1 - 12037-12183

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग

✓
DC/ADC/ADMIN/ORD
Branch PODRDA
No. 3988018

203-2018 20/3/18

प्रेषकः

निदेशक एवं विशेष सचिव(पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषितः

1. समर्त जिलाधीश,
हिमाचल प्रदेश।
2. समर्त उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हिंप्र०
3. समर्त जिला पंचायत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।
4. रामरत्त खण्ड विकास अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला-171009

दिनांक 16 मार्च, 2018.

विषयः— पंचायतों द्वारा निजी भूमि निर्मित किए जाने वाले एम्बुलेंस सड़कों के बारे में।

महोदया/महोदय,

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 14.3.2018 के अनुकम में मुझे यह सूचित करना है कि ग्राम पंचायतों द्वारा निजी भूमि में एम्बुलेंस सड़क के निर्माण पर भूमि हरतान्त्रण सम्बन्धी प्रक्रिया को पूर्ण करने में लम्बा समय लगने के कारण विकास कार्य के निष्पादन की गति में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है अतः पंचायत द्वारा निजी भूमि पर एम्बुलेंस सड़क के निर्माण कार्य को करने के लिए विभाग के नाम भूमि हरतान्त्रण करने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्राम पंचायत निजी भूमि मालिक से सादे कागज पर सहमति लेकर इस कार्य को प्रारम्भ करे।

मर्वदीय,

(राकेश कंदर)

निदेशक एवं विशेष सचिव(पं०रा०),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Dated: 20/3/18.

End No: 8651-60

Copy to

All the BDOs Mandi District for information
and necessary action please.